



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1943 (श10)

(सं0 पटना 525) पटना, शुक्रवार, 18 जून 2021

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

18 जून 2021

सं0 पर्या0/वन (मु0)-09/2019-406(ई0)/प०व०—और चूँकि प्लास्टिक कैंरी बैग तथा एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक, जिसमें थर्मोकॉल भी सम्मिलित है, पर्यावरण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक नुकसान एवं स्वास्थ्य परिसंकट के कारण है;

और चूँकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 48-क, अन्य बातों के साथ-साथ परिकल्पित करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए प्रयास करेगा;

और चूँकि यह देखा गया है कि प्लास्टिक कैंरी बैग सहित एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक, जिसमें थर्मोकॉल भी सम्मिलित है, से बने कटलरी जैसे प्लेट, कप, ग्लास, काँटा, चम्मच, कटोरी इत्यादि, प्लास्टिक परत वाले प्लेट, कप, जिसका उपयोग भोज्यपदार्थ या जल परोसने के लिये किया जाता है, पानी के पाठच या बोतल, प्लास्टिक के झंडे, बैनर और ध्वज पट्ट (Bunting) आदि जैव-विघट्य नहीं हैं और जलने से विषाक्त गैसों का उत्सर्जन करते हैं, मलनालियों एवं नालियों को अवरूद्ध करते हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण करते हैं तथा खाद्य पदार्थों के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट खा लिये जाने से जानवरों के जीवन को खतरा उत्पन्न करते हैं;

और चूँकि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के तहत प्लास्टिक कैंरी बैग (अप्रयुक्त या पुनः चक्रित) एवं प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार के जो बहुस्तरीय पैकेजिंग और वस्तु की पैकेजिंग या लपेटने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक शीट के बने कवर जो वस्तु का अभिन्न भाग नहीं है, 50 माइक्रॉन्स से कम मोटाई की प्रतिबंधित है;

और चूँकि बिहार सरकार ने गजट अधिसूचना संख्या 943 दिनांक 24.10.2018 एवं 1043 दिनांक 11.12.2019 के माध्यम से क्रमशः सभी नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत की परिसीमा में प्लास्टिक कैंरी बैग (उनके आकार एवं मोटाई का विचार किये बिना) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसलिये अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या ए० ओ० (ई) दिनांक 10.02.1988 द्वारा इस राज्य को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार इस अधिसूचना के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य की परिसीमा के भीतर एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक, जिसमें थर्मोकोल भी सम्मिलित है, से बने कटलरी जैसे प्लेट, कप, ग्लास, कौटा चम्मच, कटोरी इत्यादि, प्लास्टिक परत वाले प्लेट, कप, जिसका उपयोग भोज्यपदार्थ/जल परोसने के लिये किया जाता है, पानी के पाउच एवं बोतल, प्लास्टिक के झंडे, बैनर और ध्वज पट्ट (Bunting) आदि के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, परिवहन, बिक्रय एवं उपयोग पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 180 दिनों के पश्चात् पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। इस संदर्भ में बिहार सरकार निम्नलिखित निदेश जारी करती है;

निदेश 1-कोई भी व्यक्ति बिहार राज्य की परिसीमा के अन्दर एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक, जिसमें थर्मोकोल भी सम्मिलित है, से बने कटलरी जैसे प्लेट, कप, ग्लास, कौटा चम्मच, कटोरी इत्यादि प्लास्टिक परत वाले प्लेट, कप जिसका उपयोग भोज्यपदार्थ या जल परोसने के लिये किया जाता है, पानी के पाउच या बोतल, प्लास्टिक के झंडे, बैनर और ध्वज पट्ट (Bunting) का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्रय, परिवहन एवं उपयोग नहीं करेंगे।

प्राधिकृत पदाधिकारी 1-निम्नलिखित अधिकारियों को एतद द्वारा उनकी अधिकार क्षेत्र में इस अधिसूचना को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:-

- (क) प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, बिहार सरकार,
- (ख) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार,
- (ग) प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार,
- (घ) अध्यक्ष या सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद,
- (ङ) जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में,
- (च) अनुमंडल दण्डाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में,
- (छ) नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में,
- (ज) प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी/पंचायत सचिव,
- (झ) क्षेत्रीय पदाधिकारी/सहायक पर्यावरण अभियंता/वैज्ञानिक/सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद,
- (ञ) महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/कार्यकारी निदेशक, बियाडा अपने अधिकार क्षेत्र में,
- (ट) बिहार नगरपालिका अधिनियम- 2007 की धारा 421 एवं 422 के प्रावधानों के अन्तर्गत बनाई गयी उप-विधियों (Bye-laws) में प्राधिकृत सिटी स्क्वैड/टास्क फोर्स से संबंधित पदाधिकारी।

अनुश्रवण 1-अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार एवं प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार द्वारा इन निर्देशों का सम्पूर्ण रूप से अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अन्तर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी इस निर्देश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध परिवाद दाखिल करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

दण्डात्मक प्रावधान 1-इन निर्देशों का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत दिये गये दण्डात्मक प्रावधान को आकृष्ट करेगा और ऐसे अपराध उस सजा से, जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा उस जुर्माना से जिसे एक लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय है।

किसी भी निर्देश के उल्लंघन की दशा में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 421 एवं 422 के अन्तर्गत बनाई गयी उप-विधियों (Bye-laws) के अनुरूप जुर्माना की भी कार्रवाई की जा सकेगी।

प्रवर्तन 1-यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 180 दिनों के पश्चात् प्रवृत्त होगी। इसी 180 दिनों की अवधि के भीतर सभी व्यक्ति, जिसमें विनिर्माता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, दुकानदार/ व्यापारी, फेरीवाला आदि शामिल हैं, के द्वारा एकल उपयोग वाले त्याज्य प्लास्टिक, जिसमें थर्मोकोल भी सम्मिलित है, से बने कटलरी जैसे प्लेट, कप, ग्लास,

कॉप, चम्मच, कटोरी इत्यादि, प्लास्टिक परत वाले प्लेट, कप, जिसका उपयोग भोजन पदार्थ या जल परोसने के लिये किया जाता है, पानी के पाउच या बोतल, प्लास्टिक के झंडे, बैनर और ध्वज पट्ट (Bunting) के भण्डार का निपटारा कर लेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 16th June 2021

No. Parya Van (Muk.)-09/2019-406(ई०)/E.F&CC.—Whereas, plastic carry bags and disposable single use plastics including thermocol cause short term and long term environmental damage and health hazard;

And Whereas, Article-48A of the Constitution of India, inter alia, envisages that the State shall endeavour to protect and improve the environment;

And Whereas, it is observed that plastic carry bags and disposable single use plastics including thermocol (polystyrene) cutlery viz. plates, cups, glasses, forks, spoons, bowls and stirrers; plastic coated plates, cups used for serving eatables/drinks; water pouches & packets; plastic flags, banners and buntings are non-biodegradable and produce toxic gases on burning, cause choking of sewers and drains, reduce soil fertility and pose threat to life of cattle eating plastic waste along with their feed;

And Whereas, the State government intends to ban all products made of disposable single use plastics in phases; under the Plastic Waste Management Rules, 2016 plastic carry bags (virgin or recycled) and plastic sheet or like, which is not an integral part of multi-layer packaging and cover made of plastic sheet used for packaging, wrapping commodities, with thickness less than 50 micron are banned;

And Whereas, the Government of Bihar has banned the use of plastic carry bags (irrespective of their size & thickness) in the jurisdiction of all Urban Local Bodies and Gram Panchayats in the State of Bihar vide Gazette Notification No. 943, dated-24.10.2018 & 1043, dated-11.12.2018.

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), delegated to this State vide MoEF, GoI notification no. S.O.152 (E), dated-10.02.1988 under section 23 of the said act, the Government of Bihar issues this notification to impose a complete ban on the manufacture, import, store, transport, sale and use of following disposable single use plastics : thermocol (polystyrene) cutlery viz. plates, cups, glasses, forks, spoons, bowls and stirrers; plastic coated plates, cups and other cutlery used for serving eatables/drinks; water pouches & packets; plastic flags, banners and buntings in the State of Bihar after 180 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette. In this context, the Government of Bihar hereby issues the following directions namely:-

Directions.—No person shall manufacture, import, store, distribute, sell, transport or use following disposable single use plastics : thermocol (polystyrene) cutlery viz. plates, cups, glasses, forks, spoons, bowls and stirrers; plastic coated plates, cups and other cutlery used for serving eatables/drinks; water pouches & packets; plastic flags, banners and buntings in the State of Bihar.

Authorized Officers.—The following officers are hereby authorized to implement this notification in their respective jurisdiction namely:-

- a. The Principal Secretary, Environment and Forest Department, Government of Bihar;
- b. The Principal Secretary, Urban Development & Housing Department, Government of Bihar;
- c. The Secretary, Panchayati Raj Department, Government of Bihar;

- d. The Chairman or the Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board;
- e. The District Magistrates & Superintendent of Police in respect of their jurisdiction;
- f. The Sub-Divisional Magistrates/Sub-Divisional Police Officers in respect of their jurisdiction;
- g. The Municipal Commissioners/Executive Officers in respect of jurisdiction of ULB;
- h. Block Development Officer/Circle Officer/Panchayat Secretary;
- i. The Regional Officers/AEEs/Scientists/ASOs of Bihar State Pollution control Board;
- j. The General Managers, District Industries Centre/Executive Director, BIADA in respect of their jurisdiction;
- k. Concerned officer of task force authorized in bye-laws related to plastic waste management made under sections 421 & 422 of the Bihar Municipal Act, 2007.

Monitoring.—The Chairman, Bihar State Pollution Control Board, The Principal Secretary, Urban Development & Housing Department, Govt. of Bihar and The Principal Secretary, Panchayati Raj Department, Government of Bihar shall ensure monitoring and implementation of these directions. The authorized officers under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall file complaint in case of violation of these directions.

Penalty.—The contravention of this direction shall attract penal provisions of section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 and is punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which may extend to Rs. One Lakh or with both.

In case of violation of this direction, fine may also be imposed in accordance with bye-laws made under section 421 & 422 of the Bihar Municipal Act, 2007.

Enforcement.—This notification shall come into force after 180 days from the date of publication in Official Gazette. All persons including manufacturers, wholesalers, retailers and traders of disposable single use plastics, shopkeepers, vendors and hawkers shall dispose of their stock of disposable single use plastics including thermocol (polystyrene) cutlery viz. plates, cups, glasses, forks, spoons, bowls and stirrers; plastic coated plates, cups used for serving eatables/drinks; water pouches & packets; plastic flags, banners and buntings within 180 days period.

By order of the Governor of Bihar,
DIPAK KUMAR SINGH,
Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 525-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>